# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 60/2015

**उनवान**

1. दल्ला
2. पदमा
3. मोती पि. दूला
4. भंवर सिंह
5. मोती सिंह
6. बन्ना सिंह पि. मल्ला समसत जाति रावत निवासी ग्राम सवाईपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. मांगू सिंह पुत्र छगना
2. चान्द सिंह उर्फ कालू सिंह पुत्र छगना
3. रतन सिंह पुत्र धन्ना
4. सीता पत्नी उगम सिंह
5. राधा देवी पत्नी रामा
6. भागू पुत्र रामा
7. बन्ना पुत्र रामा
8. जय सिंह पुत्र रामा
9. रमती पुत्र रामा
10. सीता पुत्री रामा
11. नंगा पुत्र छीतर
12. उगमा पुत्र छीतर
13. देबी पुत्र अर्जुन (मृत)

13/1. गुमानी पत्नी देवी
13/2. कैलाश पुत्र गुमानी
13/3. सीता
13/4. गीता पि. देवी

14. सायरी पत्नी सोहन
15. किशना पुत्र अर्जुन
16. पतासी पत्नी बिशना
17. गुलाब पुत्र बिशना ना.बा. पुत्र जरियें संरक्षिका माता पतासी पत्नी बिशना
18. लक्ष्मण पुत्र अर्जुन
19. नानू पुत्र अर्जुन
20. फूली पत्नी भिया उर्फ भीमा समस्त जाति रावत निवासी [illegible] नयागांव, नसीराबाद
21. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 3, 5 से 12 [illegible] जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
4 व 13 अनुपस्थित, 21 जरियें राज. [illegible]कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

दिनांक :– 25.10.24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नयागांव के खता संख्या 219/203 किता 31 रकबा 5.18 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 20 की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त पुश्तैनी आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मूतनाजा अविभाजित है। अप्रार्थी संख्या 1 से 20 ने विभाजन से इंकार कर रहे है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है, साथ ही सह खातेदारी की आराजी को बिना विभाजन कराये बैचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करे भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 13 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैराकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 5 से 12 व 14 से 20 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि समस्त आराजी पुश्तैनी नही है, प्रार्थीगण द्वारा इस आशय की चौसाला जमाबंदी व सम्पूर्ण दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किये है। प्रार्थीगण का कथन हे कि जवाबकर्ता उन्हे बेदखल करने पर आमादा है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का कोई अभिलेख पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा के विभाजन तक सभी काश्तकार का भूमि पर हक निहित है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

**प्रथम दृष्टया मामला :–**

ग्राम नयागांव के खता संख्या 219/203 किता 31 रकबा 5.18 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 20 की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। आराजी मुतनाजा पर उभयपा का हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को विषम परिस्थितियों के अतिरिक्त पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण वर्ष 2015 से हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विशेष परिस्थितियॉं सिद्व करने के लिये कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। अविभाजित आराजी पर सभी सह खातेदार का बराबर हक व हिस्सा निहित होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही पाया जाता है।

**2. सुविधा का संतुलन :–**

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**3. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–**

विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। अविभाजित आराजी पर सभी सह खातेदार का बराबर हक व हिस्सा निहित होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सिद्ध होगे।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होती है।

**आदेश** :– अतः नयागांव के खता संख्या 219/203 किता 31 रकबा 5.18 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested